प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान के पक्ष में झुके : जूली

जयपुर । राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान के समर्थन में दिए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा बताए कि पाकिस्तान परस्त बयान देने वाले अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? राठौड़ के बयान ने देश के वीर जांबाज सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों की भावनाओं को आहत किया है। इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जूली ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी तो एक ज़माने में कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और यहाँ उनके प्रदेश अध्यक्ष तो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं लेकिन अब मोदी ने मौन साधा हुआ है। जूली ने कहा कि भाजपा के नेता दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाने और चुनाव के समय राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने में आगे रहते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के नेता का बयान देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो पार्टी नेतृत्व चुप्पी उसे नज़रअंदाज़ कर देता है। भाजपा को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उसके लिए राष्ट्रभक्ति केवल दूसरों को कठघरे में खड़ा करने का राजनीतिक हथियार है ।

सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाला मध्यस्थ गिरफ्तार

8 लाख रुपए में तय किया था सौदा, दो परीक्षाओं में अलग-अलग फर्जी अभ्यर्थियों से दिलवाई परीक्षा

- आरोपी खुद भी एसआई भर्ती में कर चुका है फर्जीवाड़ा
- जांच में सामने आया कि टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के लसाडिया निवासी मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा ने दोनों विषयों की परीक्षाएं स्वयं नहीं दी थीं। उसकी जगह टोंक के परीक्षा केंद्रों पर दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी

मध्यस्थ राजमोहन मीणा

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने के मामले में मध्यस्थ राजमोहन मीणा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने मूल अभ्यर्थी से 8 लाख रुपए में सौदा तय कर दो अलग-अलग परीक्षाओं में उसकी जगह डमी अभ्यर्थियों को बैठाया था। आरोपी खुद भी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होने के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 24 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 के तहत सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को पुन: परीक्षा आयोजित हुई।

जांच में सामने आया कि टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के लसाडिया निवासी मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा ने दोनों विषयों की परीक्षाएं स्वयं नहीं दी थीं। उसकी जगह टोंक के परीक्षा केंद्रों पर दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। आरोप है कि इसी फर्जीवाड़े के जरिए अरुण कुमार मीणा का वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर चयन हो गया। एसओजी मूल अभ्यर्थी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

जांच में सामने आया कि अरुण कुमार मीणा की जगह डमी अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने के लिए राजमोहन मीणा ने 8 लाख रुपए में सौदा तय किया था। उसी ने दोनों फर्जी अभ्यर्थियों का इंतजाम किया था। एसओजी ने आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को 21 अक्टूबर 2026 तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। एसओजी उससे पूछताछ कर इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।

जांच में यह भी सामने आया कि राजमोहन मीणा ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में स्वयं परीक्षा देने के बजाय डमी अभ्यर्थी के माध्यम से परीक्षा दिलवाई थी और एसआई पद पर चयनित हुआ था। इस मामले में भी उसे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी अब दोनों भर्ती परीक्षाओं से जुड़े फर्जीवाड़े के नेटवर्क और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

अग्रवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

जयपुर। अग्रवाल समाज समिति, जयपुर की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में अग्रसेन विकास ट्रस्ट, जयपुर के महामंत्री नेमी चंद्र गुप्ता को समाज में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय और सराहनीय कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

मालवीय नगर, जयपुर के निवासी नेमी चंद गुप्ता लंबे समय से समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनके द्वारा किए गए प्रमुख सेवा कार्यों में विधवा व निर्धन महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। वर्तमान में वह श्री अग्रसेन विकास ट्रस्ट में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो जयपुर आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आवास, भोजन तथा छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अग्रवाल समाज ने उनके इन निस्वार्थ कार्यों की जमकर प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सार-समाचार

जयपुर क्रिएटिविटी ग्रुप के सदस्यों ने अशोक क्लब में सामूहिक चर्चा की

जयपुर । अशोक क्लब में जेसीजी के सदस्यों ने वर्तमान संदर्भ में होने वाले विरोध प्रदर्शन और धरनों से जनता को होने वाली असुविधा और परेशानी पर चर्चा की कि क्या सच में ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं। चर्चा में प्रदीप,प्रतिमा,सुषमा के के,कल्पना,रेशमा, डॉ. यश, डॉ. नेहा,नील,लक्ष्मी,अर्जुन,सी एम दुबे,संतोष,प्रमिला, प्रो. पारूल ने अपने विचार रखे। शबाना,मीनाक्षी और शशि ने अपनी ग़ज़लों से समां बांधा। सुधीर बंसल और डॉ. राकेश कालरा ने अपनी एंकरिंग से सभी को अंत तक जोड़े रखा। नीलम के ब्रेन पज़ल में जीतने वालों को पुरस्कृत किया गया। प्रो. अमला बत्रा का कहना था कि आज के समय में विचारों का आदान प्रदान ज़रूरी है और जिस तरीक़े के वर्तमान हालात हैं,ये समझना ज़रूरी है कि हम किस रास्ते पर चले और क्या हमारे लिए सही,उसी श्रृंखला में इस विषय पर सामूहिक चर्चा रखी गई और आगे भी रखी जाएगी।

जय क्लब में महासप्तमी मनाई

जयपुर। प्रोबासी बेंगाली कल्चरल सोसायटी (पीबीसीएस) की ओर से जय क्लब लॉन, सी-स्कीम में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में शनिवार को महासप्तमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। पूजा पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।बंगाली परंपराओं के अनुसार महासप्तमी के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। मां दुर्गा की आराधना और मंत्रोच्चार से पूजा परिसर भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर मां दुर्गा को खिचड़ी, चौच्चौड़ी, खीर और टमाटर की चटनी का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। वहीं, पीबीसीएस के कलाकारों ने हिंदी और बंगाली गीतों की प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर उपस्थित दर्शकों ने खूब आनंद लिया और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पीबीसीएस के अध्यक्ष डॉ. एस.के. सरकार और महासचिव डॉ. रॉबिन सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित इस महोत्सव में बंगाली संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली।

शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 15 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। शेयर ट्रेडिंग और कमोडिटी में भारी मुनाफे का लालच देकर 15 लाख 4 हजार 999 रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने सीकर जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते खुलवा कर ठगी की रकम उनमें मंगवाते और फिर दूसरे खातों में हस्तांतरित कर देते थे। पुलिस उपायुक्त अपराध अनुष्ठा कालिया ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि ईजेड इन्वेस्ट कंपनी के नाम से संपर्क कर अंतरराष्ट्रीय बाजार और कमोडिटी में निवेश पर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और 3 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के बीच छह अलग-अलग लेन-देन में कुल 15,04,999 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। जहां पुलिस टीम ने बैंक खातों के विवरण, तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर आरोपित शिवचरण उर्फ विष्णु सैनी (54) और राजेश कुमार सैनी (39) को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपित खंडेला जिला सीकर के रहने वाले है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ठगी के नेटवर्क और रकम के लेन-देन से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

अवैध पटाखों की फैक्ट्री पर छापेमारी कर किए 1432 किलो पटाखे जब्त

जयपुर। दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस और कमिश्नरेट स्पेशल टीम (सीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 'मैजिक फायरवर्क्स' पर छापा मारा। साथ ही विभिन्न ब्रांड के 1432 किलोग्राम तैयार पटाखे और करीब 190 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया गया। पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तीन गोदामों और कारखाने को सील कर दिया। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा के अनुसार क्षेत्र में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बनाने और उसका भंडारण करने की सूचना मिली थी। इस पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस और सीएसटी की टीम ने मैजिक फायरवर्क्स के ठिकानों पर दबिश दी। मौके से तैयार पटाखों के साथ विस्फोटक सामग्री बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और विभिन्न उपकरण भी जब्त किए गए। जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फैक्ट्री संचालक जहीर अहमद की तलाश की जा रही है।

चोरी की बाइक सहित एक बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक वाहन चोर राजेश बावरिया (26) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजेश बावरिया मूल रूप से मालपुरा जिला टोंक का निवासी है और वर्तमान में आमेर जयपुर उत्तर में रह रहा था। पुलिस आरोपी से अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की पूजा

जयपुर। बनीपार्क स्थित जयपुर दुर्गाबाड़ी में शनिवार को महासप्तमी पूजा धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ अत्यंत हर्षोल्लास से संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन व पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पारंपरिक मंत्रोच्चार, विशेष पूजा-अनुष्ठानों और बंगाली संस्कृति के मुख्य प्रतीक 'ढाक' (ढोल) की सुमधुर गूंज से पूरा परिसर दिनभर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।

'कार्यक्रमों के लिए सरकारी भूमि देने के लिए एसओपी बनाए आवासन मंडल'

- अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को कहा है कि सार्वजनिक भूमि को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करे। अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। वहीं अदालत ने कहा है कि संबंधित भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक गतिविधियां संचालित करने के लिए बजरंग सेवा समिति को दे और 20 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम के लिए सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति को दे। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सेक्टर 9 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अभिषेक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता समिति बीते करीब 13 साल से स्थानीय सार्वजनिक मैदान पर दशहरा कार्यक्रम आयोजित करती आई है। इसके लिए उन्हें एक-दो दिन के लिए निर्धारित शुल्क लेकर यह भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इस बार उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बजरंग सेवा समिति को भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया कि समिति का उद्देश्य जनहित में यह त्यौहार आयोजन का रहता है और इसे लेकर आज तक आवासन मंडल के पास भी किसी ने शिकायत नहीं दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बजरंग सेवा समिति व 20 अक्टूबर को समिति को उपयोग लेने की अनुमति देते हुए आवासन मंडल को भविष्य के लिए एसओपी बनाने को कहा है।

छह दिन से लापता बस चालक का आमेर की पहाड़ी पर मिला शव

जयपुर। आमेर की हांडी पुरा पहाड़ी पर शनिवार दोपहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पातलवास आंधी निवासी महेश शर्मा (35) के रूप में हुई है। वह निजी बस चलाता था और पिछले छह दिन से लापता था। शव के पास सल्फास का खाली पैकेट मिलने से पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि, मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। एसीपी आमेर एवं प्रोबेशनर आईपीएस प्रतीक सिंह के अनुसार महेश 11 अक्टूबर को सुबह गांव से सवारियां लेकर जयपुर के लिए निकला था। रात करीब 9:30 बजे उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने तलाश की तो उसकी बस रामगढ़ मोड़ पर खड़ी मिली, लेकिन महेश का कोई पता नहीं चला। इसके बाद 12 अक्टूबर को ब्रह्मपुरी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर महेश की तलाश कर रही थी। शुक्रवार देर रात उसका मोबाइल दोबारा चालू होने पर लोकेशन आमेर के हांडीपुरा क्षेत्र की पहाड़ी पर मिली।

जयपुर में छह साल के मासूम का अपहरण

- हेलमेट पहने दो बदमाश बाइक पर ले गए
- बड़ी बहन के साथ पानी लेने गया था बच्चा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
- बाइक की नंबर प्लेट हटाकर आए थे आरोपी

जयपुर। शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के बीलवा में छह साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। जहां बाइक पर आए हेलमेट पहने दो बदमाश मासूम को जबरन उठाकर ले गए। बच्चा अपनी 16 वर्षीय भतीजी के साथ घर के पास स्थित आरओ प्लांट पर पानी लेने गया था। भतीजी के शोर मचाने के बावजूद बदमाश बच्चे को बाइक पर बीच में बैठाकर फरार हो गए। वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों बदमाश बच्चे को ले जाते नजर आए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कराकर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जांच अधिकारी एएसआई घनश्याम ने बताया कि बीलवा निवासी 27 वर्षीय युवक ने बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी के अनुसार, उसकी 25 वर्षीय पत्नी 6 जुलाई 2026 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस संबंध में शिवदासपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिवादी का आरोप है कि करीब तीन महीने बीतने के बाद भी पत्नी का पता नहीं चला है।

उसका आरोप है कि उसके दोस्त राकेश ने विश्वास में लेकर पत्नी को अपने साथ ले जाने में भूमिका निभाई। काफी तलाश के बावजूद दोनों का पता नहीं चला। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि दोस्त के परिवार की ओर से उसे धमकाया गया और परिचितों के माध्यम से पत्नी को वापस लौटाने के बदले पांच लाख रुपए की मांग की गई।

छह साल का बेटा निजी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता है। शुक्रवार को स्कूल से लौटने के बाद वह घर पर था। दोपहर करीब 3:15 बजे वह अपनी 16 वर्षीय भतीजी के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित आरओ प्लांट पर पानी लेने गया। इसी दौरान बाइक पर हेलमेट लगाए दो बदमाश पहुंचे और बच्चे को जबरन उठा लिया। भतीजी के शोर मचाने पर भी बदमाश नहीं रुके और बच्चे को बाइक के बीच में बैठाकर फरार हो गए। भतीजी ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने सूचना मिलते ही नाकाबंदी कराई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दो बदमाश बाइक पर बच्चे को ले जाते दिखाई दिए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए बाइक की नंबर प्लेट भी हटा रखी थी। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है।

एसआई भर्ती पेपर लीक में भूपेंद्र सारण का साइट हैंडलर गिरफ्तार

- जोधपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर है कार्यरत

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में फरार चल रहे साइट हैंडलर सुनील भादू को गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार ने पेपर लीक गिरोह के सरगना भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के साथ मिलकर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को लीक हुआ हल प्रश्नपत्र पढ़ाया था। आरोपी वर्तमान में जोधपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। इस मामले में एसओजी अब तक कुल 156 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण में नामजद आरोपी सुनील भादू को गिरफ्तार किया गया है। जहां जांच में सामने आया कि आरोपी ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा से पहले भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सहित गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर साइट हैंडलर की भूमिका निभाई थी। आरोप है कि गिरोह ने कई अयोग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले लीक हुआ हल प्रश्नपत्र पढ़ाया। इसके जरिए कुछ अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से चयन हासिल कर लाभ उठाया, जबकि योग्य और मेधावी अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। मामले का मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

आरोपी सुनील भादू

आरोपी सुनील भादू (30) जालौर जिले के झाब थाना क्षेत्र स्थित भादूओं की ढाणी, हेमागुढ़ा का निवासी है। वह वर्तमान में जोधपुर स्थित कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। एसओजी आरोपी से पूछताछ कर पेपर लीक नेटवर्क में अन्य संलिप्त लोगों और उनकी भूमिका के संबंध में जांच कर रही है।

कोलकाता जाने वाले यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिला

जयपुर। गुलाबी शहर के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी और हडकंप मच गया, जब नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के सामान से जिंदा कारतूस बरामद हुआ। यह घटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सतर्कता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। आरोपी यात्री कोलकाता की उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचा था। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक व्यक्ति जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट पकड़ने आया था। तय नियमों के तहत जब वह टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले अपनी सामग्री की अनिवार्य सुरक्षा जांच करवा रहा था, तभी लगेज स्कैनर मशीन में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उस बैग की मैनुअल चेकिंग की, तो उनके होश उड़ गए।

जयपुर में बेकरी शॉर्टनिंग के 2699 किलो उत्पाद सीज

- झोटवाड़ा के एसके एंटरप्राइजेज के प्लांट पर कार्रवाई
- 'बेकरी शॉर्टनिंग' के नाम पर विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ के निर्देशन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के मार्गदर्शन एवं संयुक्त आयुक्त वी.पी. शर्मा के पर्यवेक्षण में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एम/एस एसके एंटरप्राइजेज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान 'बेकरी शॉर्टनिंग' के नाम पर चंचल, नेहा गोल्ड और जय गोल्ड सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने उत्पाद की प्रकृति, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच शुरू की है।

खाद्य सुरक्षा दल ने नमूने लेने की कार्रवाई के साथ बाजार में बिक्री के लिए तैयार 2,699.2 किलोग्राम बेकरी शॉर्टनिंग को सीज किया। विभाग की सतर्कता से त्योहारी सीजन में इस उत्पाद की बिक्री पर जांच पूरी होने तक रोक लगाई गई है।

पुलिस ने 38 मोबाइल,30 एटीएम कार्ड और 25 चेकबुक बरामद किये

- कमीशन के लालच में खुलवाते थे बैंक खाते, 21 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार
- 45.83 लाख रुपए खातों में होल्ड

जयपुर। सोशल मीडिया पर सस्ते वाहन बेचने का झांसा, डिजिटल अरेस्ट का डर, फर्जी अधिकारी बनकर ठगी और कमीशन के लालच में बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोहों के खिलाफ जयपुर दक्षिण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 'साइबर शील्ड' और 'म्यूल हंटर' अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े बैंक खातों की जांच में देश के अलग-अलग राज्यों से मिली 101 साइबर शिकायतों में 18.60 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी की राशि में से 45 लाख 83 हजार 504 रुपए बैंक खातों में होल्ड करवाए हैं।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम और ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों यानी दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 15 नए प्रकरण दर्ज किए और 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने 2 लाख 4 हजार 500 रुपए नकद, थाईलैंड की 12 विदेशी मुद्रा इकाइयां, बरामद की।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिली चेक बुक और पासबुक में दर्ज बैंक खाता नंबरों की जांच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग व्यवस्था से जुड़े पोर्टल पर की। जांच में इन खातों के संबंध में देश के विभिन्न राज्यों से कुल 101 साइबर शिकायतें दर्ज होना सामने आया। इन शिकायतों में कुल 18 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का पता चला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 45 लाख 83 हजार 504 रुपए खातों में होल्ड करवाए हैं।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 लाख 4 हजार 500 रुपए नकद, थाईलैंड की 12 विदेशी मुद्रा इकाइयां, ठगी में इस्तेमाल किए गए 38 मोबाइल फोन, एक लग्जरी स्कॉर्पियो कार, 25 बैंक चेक बुक, 20 बैंक पासबुक, 30 एटीएम/डेबिट कार्ड और अन्य व्यक्तियों के नाम के 15 फर्जी पैन व आधार कार्ड बरामद किए हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद इन खातों को 8 से 10 हजार रुपए प्रति खाते की दर से खरीदने-बेचने का काम किया जाता था। ऐसे खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे हस्तांतरित करने में किया जाता था। गिरोह के सदस्य कई तरीकों से लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपी ऑनलाइन बिक्री मंचों पर सस्ती गाड़ियां बेचने का झांसा देते और रैपिडो वाहनों के फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों को विश्वास में लेते थे।

नामांकन पत्र मामले में याचिका खारिज

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को मौजमाबाद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को सही करार दिया है। जस्टिस रवि चिरानिया की विशेष बेंच ने यह आदेश जीतू देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के 15 अक्टूबर 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक से ज्यादा प्रस्तावक होने के आधार पर याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। जिसके जवाब में एएजी कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि पंचायती राज चुनाव नियम, 1996 की धारा 58 जी के तहत प्रावधान है कि यदि कोई मतदाता एक से ज्यादा नामांकन पत्र पर प्रस्तावक बना है तो उसका दूसरा नामांकन पत्र खारिज माना जाएगा।